JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

लैंगिक असमानता का ऐतिहासिक सन्दर्भ

(Historical context of Gender Inequality)

Garima Pal
(Research Scholar Law)
Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra

सारांश
लैंगिक असमानता का ऐतिहासिक संदर्भ एक गहन और जटिल विषय हैं। लैंगिक असमानता की गहरी जड़ें ऐतिहासिक हैं, जो समाज के विकास के साथ –साथ समय के साथ बदलता रहा हैं जो संस्कृतियों और युगों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देती हैं। यह असमानता प्राचीन सभ्यताओं से लेकर समकालीन समाजों तक लिंग भूमिकाओं के विकास की खोज करता है, जो असमानता को बनाए रखने वाली प्रणालीगत बाधाओं को उजागर करता है। प्राचीन समाजों में, पितृसत्तात्मक संरचनाएँ उभरीं, जिन्होंने पुरुषों को परिवार और सार्वजनिक जीवन में प्राथमिक अधिकार के रूप में स्थान दिया। कानूनी संहिताओं, धार्मिक सिद्धांतों और सांस्कृतिक मानदंडों ने पुरुष वर्चस्व स्थापित किया, जिससे महिलाओं के संपत्ति, शिक्षा और शासन में भागीदारी के अधिकार सीमित हो गए। औद्योगिक क्रांति ने लैंगिक असमानताओं को और बढ़ा दिया, क्योंकि महिलाएँ कम वेतन वाली, अकुशल नौकरियों में कार्यबल में शामिल हुईं, जबकि मुख्य रूप से घरेलू कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार थीं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में लैंगिक समानता के लिए महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, जिसमें मताधिकार अभियान और नारीवादी आंदोलनों ने पारंपरिक भूमिकाओं को चुनौती दी और कानूनी सुधारों की वकालत की। इन प्रयासों से मतदान का अधिकार और शिक्षा तक पहुँच जैसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, फिर भी प्रणालीगत असमानताएँ बनी रहीं। लैंगिक वेतन अंतर, नेतृत्व की भूमिकाओं में कम प्रतिनिधित्व और महिलाओं के खिलाफ हिंसा सहित समकालीन मुद्दे बताते हैं कि ऐतिहासिक लैंगिक असमानता की विरासत आधुनिक समाज को प्रभावित करती रहती है। अंतर्संबंध इस परिदृश्य को और जटिल बनाता है, क्योंकि जाति, वर्ग और कामुकता जैसे कारक लिंग के साथ प्रतिच्छेद करते हैं, जिससे असमानता के विभिन्न अनुभव बनते हैं। यह विश्लेषण लैंगिक असमानता के ऐतिहासिक और वर्तमान दोनों आयामों को संबोधित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, न्यायसंगत नीतियों और सामाजिक मानदंडों के लिए निरंतर वकालत के महत्व पर जोर देता है। लैंगिक असमानता के ऐतिहासिक संदर्भ को समझना गहरी बाधाओं को खत्म करने और अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी दुनिया को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। इन ऐतिहासिक प्रक्षेपो की जाँच करके, हम समकालीन लैंगिक मुद्दों की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और सार्थक बदलाव की दिशा में काम कर सकते हैं।

Keywords : लैंगिक असमानता, नारीवाद, सामाजिक संरचनाएँ, एतिहासिक सन्दर्भ, आर्थिक असमानताएँ, महिला अधिकार।

परिचय
लैंगिक असमानता से तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है लिंग महिला पुरुष का सामाजिक वर्गीकरण है यह पुरुष और महिला के बीच समाज द्वारा स्थापित अंतर है इसलिए समाज की विभिन्न प्रथाओं को जो पुरुष और महिला के बीच अंतर करती है महिला पुरुष भेदभाव की संज्ञा दी जाती है किसी पितृ सत्तात्मक समाज में जो प्रयास विश्व के सभी भागों में प्रचलित है परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है जो संस्कृति और समाजों में विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ है। इस असमानता की जड़ें प्राचीन सभ्यताओं में पाई जा सकती हैं, जहाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्थाओं ने पुरुषों का वर्चस्व स्थापित किया और महिलाओं को पुरुषों के अधीन धकेल दिया। सदियों से, इस गतिशीलता को विधिक संहिताओं, धार्मिक प्रथाओं और सांस्कृतिक मानदंडों के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है, जिसने एक ऐसी नींव बनाई है जिसने सामाजिक संरचनाओं को आकार दिया है। जैसे–जैसे समाज विकसित हुए, औद्योगिक क्रांति और नारीवादी आंदोलनों के उदय जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं ने लैंगिक असमानता को उजागर किया। महिलाओं ने बड़ी संख्या में कार्यबल में प्रवेश करना शुरू कर दिया, फिर भी उन्हें अक्सर कम वेतन और उन्नति के सीमित अवसरों सहित प्रणालीगत बाधाओं का सामना करना पड़ा।

मताधिकार और समान अधिकारों के लिए संघर्ष ने 19वीं और 20वीं शताब्दियों में गति पकड़ी, यथास्थिति को चुनौती दी और परिवर्तनकारी बदलाव के लिए जोर दिया। इन प्रगतियों के बावजूद, लैंगिक असमानता आज भी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। आधुनिक चुनौतियाँ जैसे कि लैंगिक आय अंतर, नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व और लिंग आधारित हिंसा, समकालीन समाज में बनी रहने वाली ऐतिहासिक असमानताओं को दर्शाती हैं। इसके अलावा, जाति और वर्ग जैसी अन्य सामाजिक श्रेणियों के साथ लिंग का प्रतिच्छेदन, जैसे मुद्दों हमारी समझ को जटिल बनाता है, जिससे असमानता का एक बहुआयामी परिदृश्य सामने आता है। यह शोध पत्र लैंगिक असमानता के ऐतिहासिक संदर्भ की गहन खोज के लिए मंच तैयार करता है, इसकी उत्पत्ति, विकास और चल रहे प्रभाव की जाँच करता है। इन ऐतिहासिक प्रक्षेपो का विश्लेषण करके, हमे वर्तमान लिंगभेद गतिशीलता की जटिलताओं और सही अर्थों में समानता प्राप्त करने के लिए निरंतर वकालत और सुधार की तत्काल आवश्यकता को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।

ऐतिहासिक संदर्भ

लैंगिक असमानता एक गहरा सामाजिक मुद्दा है जो हजारों सालों में विकसित हुआ है, जिसकी जड़ें प्राचीन सभ्यताओं में हैं जहाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएँ स्थापित की गई थीं। शुरुआती समाजों से, पुरुषों ने अक्सर परिवार और समुदाय की संरचनाओं में प्रमुख भूमिकाएँ निभाईं, महिलाओं को सहायक और अधीनस्थ पदों पर रखा। इन गतिशीलता को विधिक प्रणालियों, धार्मिक सिद्धांतों और सांस्कृतिक प्रथाओं में संहिताबद्ध किया गया था जो पुरुष अधिकार का पक्ष लेते थे, जिससे महिलाओं को इन अधिकारों से वंचित रखा जाता था। मेसोपोटामिया, मिस्र और ग्रीस जैसी कई प्राचीन संस्कृतियों में, लिंगभेद की भूमिकाएँ कठोर रूप से परिभाषित की गई थीं। पुरुष आमतौर पर राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य मामलों के लिए जिम्मेदार होते थे, जबकि महिलाओं की भूमिकाएँ घर तक ही सीमित थीं। कुछ मामलों में, महिलाओं के पास कुछ अधिकार और विशेषाधिकार थे, लेकिन ये आम तौर पर सीमित थे और वर्ग और सामाजिक स्थिति के अनुसार काफी भिन्न थे। उदाहरण के लिए, जबकि प्राचीन मिस्र में कुलीन महिलाएँ संपत्ति की मालिक हो सकती थीं और व्यवसाय में संलग्न हो सकती थीं, किसान महिलाओं के पास बहुत कम अधिकार थे और वे अक्सर अपने पुरुष रिश्तेदारों पर निर्भर रहती थीं।

प्रागैतिहासिक समाज–प्राचीन सभ्यताओं में लैंगिक असमानता की नींव पड़ी जैसे की प्राचीन भारत में वेदों और उपनिषदों में पुरुषों को प्रमुखता दी गई थी महिलाओं को शिक्षा संपत्ति व स्वतंत्रता के अधिकार सीमित थे हालांकि कुछ समय महिलाओं को धार्मिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिला जैसे कि उपनिषदों में राधा और सती जैसे पत्रों का उल्लेख है मध्यकाल के आते–आते लैंगिक असमानता और बढ़ गई इस समय में महिलाओं की स्थिति और भी कमजोर हो गई भारत में मुस्लिम शासन के दौरान महिलाओं को पर्दा प्रथा और उन सामाजिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा इस समय में सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं प्रचलित हुई।

मातृसत्ता और लैंगिक भूमिकाएँः– प्रागैतिहासिक समाजों में, लैंगिक भूमिकाएँ संभवतः अधिक तरल थीं। कुछ मानविकीविद् सुझाव देते हैं कि प्रारंभिक मानव समूह समतावादी सिद्धांतों के लगभग संगठित थे, जहाँ पुरुष और महिला दोनों शिकार और संग्रह के माध्यम से जीवित रहने में योगदान करते थे। हालाँकि, जैसे–जैसे समाज 10,000 ईसा पूर्व के लगभग कृषि में परिवर्तित हुए, भूमिकाएँ ठोस होने लगीं, अक्सर पुरुषों को उनकी शारीरिक शक्ति और भूमि पर नियंत्रण के कारण प्रमुख पदों पर रखा गया।

कृषि का उदयः– कृषि के आगमन से स्थायी बस्तियों की स्थापना हुई, जिससे संसाधनों के संचय में सुविधा हुई। इस बदलाव ने अक्सर महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं में धकेल दिया, जिससे उनकी स्थिति में कमी आई। जैसे–जैसे संपत्ति का स्वामित्व सामाजिक संगठन का केंद्र बन गया, पितृसत्तात्मक संरचनाएँ उभरीं, जो पुरुष वंश के माध्यम से विरासत और वंश को परिभाषित करती थीं।

प्राचीन सभ्यताएँ :मेसोपोटामिया और मिस्र – प्राचीन मेसोपोटामिया में, हम्मुराबी की संहिता (लगभग 1754 ईसा पूर्व) लिंग भूमिकाओं के प्रारंभिक कानूनी संहिताकरण को दर्शाती है, जहाँ महिलाओं के पास कुछ अधिकार थे, लेकिन वे अभी भी पुरुषों के अधीन थीं। इसके विपरीत, प्राचीन मिस्र ने महिलाओं को अपेक्षाकृत उच्च दर्जा दिया, जिसमें संपत्ति रखने और तलाक शुरू करने का अधिकार था, फिर भी वे काफी हद तक घरेलू क्षेत्रों तक ही सीमित रहीं।

ग्रीस और रोमः– शास्त्रीय ग्रीस में, विशेष रूप से एथेंस जैसे शहर–राज्यों में, महिलाओं को अक्सर सार्वजनिक जीवन से बाहर रखा जाता था और नागरिकता से वंचित किया जाता था। उनकी भूमिकाएँ काफी हद तक घर तक ही सीमित थीं। इसके विपरीत, स्पार्टा ने महिलाओं को अधिक स्वायत्तता प्रदान की, क्योंकि वे शिक्षित थीं और शारीरिक प्रशिक्षण में भाग लेती थीं। रोमन साम्राज्य ने पितृसत्तात्मक संरचना को बनाए रखा, फिर भी रोम में महिलाएँ संपत्ति की मालिक हो सकती थीं और व्यवसाय में संलग्न हो सकती थीं, जो कानूनी अधिकारों और सामाजिक स्थिति के बीच एक जटिल अंतर्संबंध को दर्शाता है। पितृसत्तात्मकता का विचार, जहाँ पुरुष मुखिया के पास परिवार पर महत्वपूर्ण शक्ति होती थी, ने लैंगिक पदानुक्रम को मजबूत किया।

मध्य **मध्ययुगः**–मध्यकालीन युग में भी लैंगिक असमानता का चलन जारी रहा। यूरोप में, चर्च ने महिलाओं की भूमिका को सीमित किया और उन्हें शिक्षा से वंचित रखा। भारत में, सती प्रथा और बाल विवाह जैसी परंपराएं महिलाओं के अधिकारों को और भी सीमित कर देती थीं। इस समय के दौरान, महिलाओं को संपत्ति के अधिकारों से वंचित किया गया और उन्हें केवल मातृत्व और पत्नी के रूप में देखा गया।

सामंतवाद और लिंगः–मध्य युग के दौरान, सामंती व्यवस्था ने लैंगिक भूमिकाओं को और मजबूत किया। कुलीन वर्ग अक्सर भूमि को नियंत्रित करता था, जबकि किसान महिलाएँ कृषि में पुरुषों के साथ काम करती थीं, लेकिन ऐतिहासिक विवरणों में वे काफी हद तक अदृश्य रहीं। चर्च ने भी लैंगिक मानदंडों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अक्सर माताओं और देखभाल करने वालों के रूप में महिलाओं की भूमिकाओं पर जोर दिया।

धर्म की भूमिकाः– धार्मिक संस्थाओं, विशेष रूप से ईसाई धर्म ने कई लैंगिक असमानताओं को संहिताबद्ध किया। वर्जिन मैरी का सम्मान किया जाता था, लेकिन महिलाओं को अक्सर पापी और अधीनस्थ के रूप में देखा जाता था। हालाँकि, कुछ महिलाओं ने धार्मिक जीवन के माध्यम से एजेंसी पाई, 'नन' बन गईं और कुछ संदर्भों में प्रभाव डाला।

बदलते दृष्टिकोणः– पुनर्जागरण ने मानवतावाद में नई रुचि जगाई, जिससे लैंगिक असमानता की कुछ शुरुआती आलोचनाएँ हुईं। क्रिस्टीन डी पिजान जैसे विचारकों ने महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों की वकालत की। ज्ञानोदय ने पारंपरिक विचारों को और चुनौती दी, जिसमें जॉन लॉक और मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट जैसे दार्शनिकों ने सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाए और महिलाओं की शिक्षा और समानता की वकालत की।

वैज्ञानिक क्रांति का प्रभावः– वैज्ञानिक क्रांति के भी मिश्रित प्रभाव थे। जबकि इसने तर्क और जांच को बढ़ावा दिया, इसने अक्सर लैंगिक रूढ़ियों को मजबूत किया, जिसमें विज्ञान और दर्शन में महिलाओं के योगदान को अनदेखा किया गया। इसके बावजूद, महिलाओं ने समानता और सामाजिक सुधार के विचारों को बढ़ावा देते हुए बौद्धिक मंडल बनाना शुरू कर दिया।

औद्योगिक क्रांति का प्रभावः–18वीं और 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति ने लिंग भूमिकाओं में महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। जैसे–जैसे अर्थव्यवस्थाएँ कृषि से औद्योगिक की ओर बढ़ीं, महिलाएँ अभूतपूर्व संख्या में कार्यबल में शामिल होने लगीं। लेकिन उन्हें अक्सर कारखानों

और कपड़ा उद्योग में कम वेतन और अकुशल नौकरियों तक ही सीमित रखा जाता था, जबकि पुरुष उच्च–कुशल, बेहतर वेतन वाले पदों पर हावी थे। अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद, महिलाओं को प्रणालीगत बाधाओं का सामना करना पड़ा जिसने उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और पेशेवर विकास को सीमित कर दिया। इस अवधि के दौरान, महिलाओं ने श्रम और घरेलू जिम्मेदारियों का दोहरा बोझ भी उठाया। ''अलग क्षेत्रों'' का आदर्श उभरा, जिसने इस धारणा को मजबूत किया कि महिलाएं घर की देखभाल करती हैं जबकि पुरुष कमाने वाले होते हैं। इस विचारधारा ने न केवल महिलाओं के अवसरों को सीमित किया, बल्कि इस धारणा को भी कायम रखा कि महिलाएं सार्वजनिक और पेशेवर जीवन में पुरुषों की तुलना में कम सक्षम हैं।

पारिवारिक संरचना में बदलावः–एकल परिवार मॉडल के उदय ने पुरुष कमाने वाले और महिला गृहिणी की धारणा को मजबूत किया। हालाँकि, इस समय के दौरान महिलाओं के आर्थिक योगदान ने इन मानदंडों को चुनौती दी, जिसके कारण श्रम अधिकारों और मताधिकार की वकालत करने वाले शुरुआती नारीवादी आंदोलन शुरू हुए।19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत हुई।

नारीवादी आंदोलन का उदयः–19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने वाली संगठित नारीवादी आंदोलन का उदय हुआ। महिलाओं ने मत देने का अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किया,मताधिकार और मताधिकार आंदोलन की बदौलत लैंगिक असमानता भी प्रमुख पहेलियां में से एक था महिलाओं को पुरुषों की तुलना में बहुत बाद में मताधिकार अधिकार दिए गए और यह लड़ाई मताधिकार आंदोलन (विशेष रूप से में से मिलिसेंट फांसेट के नेतृत्व से जुड़ा) ने याचिकाओं जैसे शांतिपूर्ण और कानूनी तरीकों से महिलाओं के लिए समानता हासिल करने की कोशिश की और मताधिकार आंदोलन करने वाली महिलाएं अपनी कार्यवाही में काफी उग्र थी। 1903 में महिला सामाजिक और राजनीतिक संगठन (WSPU) की स्थापना की गयी ।इस समूह ने संसद में प्रवेश पाने का प्रयास किया, संसद के सदस्यों को परेशान किया और संपत्ति को नुकसान पहुंचा।1869 में जान स्टुअर्ट मिल 'महिला की अधीनता' में लिंग की समानता पर एक निबंध प्रकाशित किया और पुरुषों के साथ–साथ महिलाओं ने भी सामान मताधिकार के लिए अपील पर हस्ताक्षर किए , अन्य विभिन्न देशों ने भी समय–समय पर संसद में याचिका प्रस्तुत कर महिलाओं को भी मतदान का अधिकार दिया,लेकिन सत्ता में बैठे विपक्षी लोगों के लिए प्रेरक नहीं था। 1848 में 'संयुक्त राज्य अमेरिका' ने महिलाओं के प्रथम मताधिकार सम्मेलन में पुरुषों के समान महिलाओं के लिए समान मताधिकार की मांग की गई।1893 में न्यूजीलैंड में महिलाओं को सामान मताधिकार दिया गया और 1897 में यू के ने राष्ट्रीय महिला मताधिकार समिति संघ का गठन किया गया और अन्य विभिन्न देशों ने समय–समय पर महिलाओं को पुरुषों के समान मताधिकार दिया। भारत में भी 1950 में महिला को पुरुषों के समान मत देने का अधिकार दिया। 1960 और 1970 दशक के नारीवादी आंदोलन ने लैंगिक समानता पर चर्चा को और आगे बढ़ाया, जिसमें मतदान के अधिकार से परे मुद्दे को संबोधित किया गया। दूसरी लहर के नारीवाद ने कई विषयों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें प्रजनन अधिकार, कार्यस्थल समानता और घरेलू भूमिकाओं की चुनौती शामिल हैं।इस अवधि में लैंगिक भेदभाव का मुकाबला करने के उद्देश्य से कानूनों की स्थापना की गई।

सीमित उत्तराधिकारीः–उत्तराधिकार की बात करें तो महिलाओं को सीमित उत्तराधिकार प्राप्त था जो आमतौर पर भूमि में संपत्ति के बजाय व्यक्तिगत अधिकारों तक सीमित था। यहां तक कि पुरुषों में भी भेदभाव लागू था और 'जेष्ठाधिकार का सिद्धांत' लागू था, जहां घर के सबसे बड़े पुत्र को ही संपत्ति विरासत में मिलती थी।वहीं दूसरी तरफ महिला केवल भाई बहन की अनुपस्थिति में ही संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकती थी और शादी के बाद वह पति की संपत्ति बन जाती थी। इंग्लैंड और वेल्स में संपत्ति के स्वामित्व पर प्रतिबंध 1870 के 'विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम' लागू कर किया गया।

शिक्षा और रोजगारः–शिक्षा तक पहुँच बढ़ने से महिलाओं को उन व्यवसायों में प्रवेश करने का मौका मिला जो पहले उनके लिए बंद थे। 19वीं सदी के अंत में महिला कॉलेजों की स्थापना हुई और महिलाओं की बौद्धिक क्षमताओं की बढ़ती मान्यता देखी गई। इस बदलाव ने लैंगिक समानता में भविष्य की प्रगति के लिए आधार तैयार किया ।

सामाजिक परिवर्तनः–द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लैंगिक भूमिकाएँ काफी हद तक बदल गईं क्योंकि युद्ध के दौरान कार्यबल में शामिल होने वाली महिलाओं से घरेलू जीवन में वापस लौटने की अपेक्षा की गई थी। हालाँकि, कई लोगों ने इसका विरोध किया, जिससे समाज में महिलाओं की भूमिकाओं की धारणाओं में सांस्कृतिक बदलाव आया।

समकालीन मुद्देः–आज के समय में लैंगिक असमानता एक वैश्विक मुद्दा है। विभिन्न देशों में महिलाओं को समानता के अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने के लिए सर्वप्रथम 1946 में 'महिलाओं की स्थिति पर आयोग' की स्थापना की गई और यह घोषणा की थी कि सभी मानव गरिमा एवं अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र एवं समान पैदा हुए हैं और हर व्यक्ति उसमें उपवर्णित सभी अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का लिंग पर आधारित भेदभाव सहित किसी भी प्रकार के बिना किसी भेदभाव के हकदार हैं। फिर भी महिलाओं के विरुद्ध व्यापक भेदभाव विद्यमान हैं। इसके पश्चात लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महासभा ने 18 दिसंबर 1979 को महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की समाप्ति की घोषणा (CEDAW)अंगीकार किया और घोषणा में प्रस्तावित सिद्धांत के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक स्तर पर विधायी उपाय लागू किया यह सिद्धांत निम्नलिखित हैः–

- पुरूष एवं महिलाओं की समानता के सिद्धान्त को अपने राष्ट्रीय संविधानों अथवा अन्य उपयुक्त विधायनों में यदि यह सिद्धान्त उनमें पहले से शामिल न हो तो इसे शामिल करने।
- महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार कि भेदभाव का प्रतिषेध करते हुए उपयुक्त विधायी एवं अन्य उपायों का अंगीकार करने।
- किसी व्यक्ति, संगठन अथवा उद्यम द्वारा महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव को समाप्त करगे के लिए सभी उपयुक्त उपाय अपनाने का वचन दिया है।
- ऐसे सभी राष्ट्रीय दण्ड प्रावधानों को निरसित करना जो महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव किये जाने मे योगदान करते है।
- किसी व्यक्ति, सगंठन अथवा उद्यम् द्वारा महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव को समाप्त करने के लिए सभी उपयुक्त उपाय अपनाने का वचन दिया है।
- ऐसे सभी राष्ट्रीय दंड न्यायालय को निश्चित करना जो महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव किए जाने में योगदान करते हैं।

उपरोक्त प्रगति के बावजूद, लैंगिक असमानता वैश्विक स्तर पर बनी हुई है। महिलाओं को वेतन, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में असमानताओं का सामना करना पड़ रहा है। #MeToo आंदोलन ने यौन उत्पीड़न और हमले के मुद्दों को उजागर किया है, जिससे महिलाओं के खिलाफ प्रणालीगत हिंसा की ओर ध्यान आकर्षित हुआ है।अंतर्संबंध आधुनिक नारीवादी प्रवचन अंतर्संबंध पर अधिकाधिक जोर देता है, यह मानते हुए कि लैंगिक असमानता नस्ल, वर्ग और कामुकता के साथ अंतर्संबंध रखती है। इस व्यापक ढांचे का उद्देश्य विभिन्न संदर्भों में महिलाओं के विविध अनुभवों को संबोधित करना हैं।

निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि लैंगिक असमानता का ऐतिहासिक संदर्भ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों के जटिल अंतर्संबंध को दर्शाता है। जबकि लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, संघर्ष जारी है। इस ऐतिहासिक प्रक्षेपों को समझना लगातार चुनौतियों को पहचानने और अधिक न्यायसंगत भविष्य को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। लैंगिक समानता के लिए लड़ाई एक गतिशील और सतत प्रक्रिया बनी हुई है, जिसके लिए वैश्विक स्तर पर महिलाओं के अधिकारों के लिए सामूहिक कार्रवाई और निरंतर वकालत की आवश्यकता है। विभिन्न देशों में महिलाओं को समानता के अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि, कई देशों में लैंगिक भेदभाव, घरेलू हिंसा और यौन शोषण की समस्याएं अभी भी विद्यमान हैं। संयुक्त राष्ट्र ने लैंगिक समानता को अपने सतत विकास लक्ष्यों में शामिल किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह मुद्दा आज भी कितना महत्वपूर्ण है।यह समस्या केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं से जुड़ी हुई है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि लैंगिक समानता केवल महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं है, बल्कि यह समाज के विकास और समृद्धि के लिए भी आवश्यक है।

References

ABREVAYA, J. (2009): "Are There Missing Girls in the United States? Evidence from Birth Data, American Economic Journal: Applied Economics, 1-34.

ADUKIA, A. (2014): "Sanitation and Education," Working paper. University of Chicago.

AIZER, A. (2010): "The Gender Wage Gap and Domestic Violence, American Economic Reviem, 100, 1847-1859.

ALBANESI, S. AND C. OLIVETTI (2009): "Gender Roles and Medical Progresss, Working Paper 14873, National Bureau of Economic Research.

ALESINA, A., P. GIULIANO, AND N. NUNN (2013): "On the Origins of Gender Rolesc Women and the Plough. Quarterly Journal of Economics, 128, 469-530

ALMOND, D. AND L. EDLUND (2008): "Son-Biased Sex Ratios in the 2000 United States
Census. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105, 5681-5682.

ANDERSON, S. (2007): "The Economies of Dowry and Brideprice." Journal of Economic Perspectives, 21, 151-174.

Jayanchandran, Seema (2014). The Roots of gender Inequality in Devloping Countries : National Bureau of Economic Research (NBER) Combridge. MA02138

ANDERSON, S. AND G. GENICOT (2014): "Suicide and Property Rights in India, Working Paper 19978, National Bureau of Economic Research.

ANDERSON, S. AND D. RAY (2010): "Missing Women: Age and Disease," Review of Eco- nomic Studies, 77, 1262-1300,

Kumar, Dr. Sunil, Sharma, Brijesh & Devi, Saroj (2013) भारत में लैंगिक असमानता : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन : (Vol.2, Issue 10, October 2013) ISSN No. 2277-8179

ANUKRITI, S. (2013): The Fertility-Sex Ratio Trade-off: Unintended Consequences of Financial Incentives, Working paper. Boston College.

ARNOLD, F., M. K. CHOE, AND T. ROV (1998): "Son Preference, the Family-Building Process and Child Mortality in India, Population Studies, 52, 301-315.

अग्रवाल, डॉ0 एच0 ओ0 (2016) मानव अधिकार एवं अंतराष्ट्रीय विधि सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, सप्तम संस्करण।

BEAMAN, L., R. CHATTOPADHYAY, E. DUFLO, R. PANDE, AND P. TOPALOVA (2009): "Powerful Women: Does Exposure Reduce Bias?" Quarterly Journal of Economics, 124, 1497-1540.

Khobragade, Pravina N. (2022) Property Rights of Hindu Women and Gender Equlity. Journal of Positive School Psychology. Vol.6, No.8, 3225-3227.

(2012): "Female Leadership Raises Aspirations and Educational Attainment for Giris A Policy Experiment in India, Science, 335, 582-586

कारमाइकल, सारा जी (2018) ऐतिहासिक लैंगिक समानता सूचकांक का परिचय : सेलिन दिल्ली पृष्ठ 31–57 https://doi.org/10,1080/13545701.

Oswald, Kendall (2023). Gender Discrimination : An overview of Historical and comtemporary issues, Journal of the International Academy for case study 29(1) pp. 1-2 hal – 04109042.

BLOCH, F. AND V. RAO (2002): "Terror as a Bargaining Instrument: A Case Study of Dowry Violence in Rural India, American Economic Review, 92, 1029-1043. BOROOAH, V. K. AND S. IYER (2005): "Religion, Literacy, and the Female-to-Male Ratio,

Economic and Political Weekly, 40, pp. 419-427. BOSERUP, E. (1970): Woman's Role in Economic Development, London: George Allen and Unwin Ltd.
BROWNING, M.. F. BOURGUIGNON, P. A. CHIAPPORI, AND V. LECHENE (1994): "In- come and Outcomes: A Structural Model of Intrahousehold Allocation," Journal of Po litical Economy, 102, 1067-1096.
BURDE, D. AND L. L. LINDEN (2013): "Bringing Education to Afghan Girls: A Random- ized Controlled Trial of Village-Based Schools, American Economic Journal: Applied
Economics, 5.27-10 Buss, D. M. (1989): "Sex Differences in Human Mate Preferences: Evolutionary Hypotheses Tested in 37 Cultures, Behavioral and Brain Sciences, 12, 1-14.
CARRANZA, E. (forthcoming): "Soil Endowments, Female Labor Force Participation, and the Demographic Deficit of Women in India." American Economic Journal: Applied Eco- nomics.
CHAKRABORTY, T. AND S. KIм (2010): "Kinship Institutions and Sex Ratios in India," Demography, 47,989-1012.
CHATTOPADHYAY, R. AND E. DUFLO (2004): Women as Policy Makers: Evidence from a Nationwide Randomized Experiment in India, Econometrion, 72, 1409-1443.
CHEN, M. (1995): "A Matter of Survival Women's Right to Employment in India and Bangladeshh, in Women, Culture and Development, ed, by M. Nussbaum and J. Glover, Oxford, UK: Clarendon Press.
CHEN, Y., H. LI, AND M. LINGSHENG (2013): "Prenatal Sex Selection and Missing Girls in China: Evidence from the Diffusion of Diagnostic Ultrasound, Journal of Human Resources, 48, 36-70.
CLARK, S. (2000): "Son Preference and Sex Composition of Children: Evidence from India," Demography, 37, 05-108.
COEN-PIRANI, D., A. LEÓN, AND S. LUGAUER (2010): The Effect of Household Ap pliances on Female Labor Force Participation: Evidence From Microdata, Labour Eco- nomics, 17, 503-513.
DAS GUPTA, M., J. ZHENGHUA, L. BOHUA, X. ZHENMING, W. CHUNG, AND B. HWA- Oк (2003): "Why Is Son Preference So Persistent in East and South Asia? A Cross- Country Study of China, India and the Republic of Koren," Journal of Development Studies, 40, 153-187.
DEININGER, K., A. GOYAL, AND H. NAGARAJAN (2013): "Women's Inheritance Rights and Intergenerational Transtuisxion of Resources in India, Journal of Human Resources, 48, 114-141.
DHAR, D., T. JAIN, AND S. JAYACHANDRAN (2014); "The Intergenerational Transmission of Gender Attitudes: Evidence from India," Mimeo, Northwestern University.
DINKELMAN, T. (2011): "The Effects of Rural Electrification on Employment: New Evi- dence from South Africa, The American Economic Review, 101, 3078-3108.
DOEPKE, M. AND M. TERTILT (2009): "Women's Liberation: What's in It for Men?" Quarterly Journal of Economics, 124, 1541-1591.
DOEPKE, M., M. TERTILT, AND A. VOENA (2012): "The Economics and Politics of Women's Rights," Annual Review of Economics, 4.
DUFLO, E. (2003): "Grandmothers and Granddaughters: Old Age Pension and Intra- Household Allocation in South Africa," World Bank Economic Review, 17.
(2012): "Women Empowerment and Economic Development," Journal of Economic. Literature, 50, 1051-1079.
DYSON, T. AND M. MOORE (1983): "On Kinship Structure, Female Autonomy, and De- mographic Behavior in India," Population and Development Review, 9, 35-60.
EBENSTEIN, A. (2010): "The "Missing Girls" of China and the Unintended Consequences of the One Child Policy, Journal of Human Resources, 45, 87-115.
(2014): "Patrilocality and Missing Women," Working paper, Hebrew University.
EBENSTEIN, A. AND S. LEUNG (2010): "Son Preference and Access to Social Insurance: Evidence From China's Rural Pension Program," Population and Development Review, 36, 47-70.
FERNÁNDEZ, R. (2007): Women, Work, and Culture," Journal of the European Economic Association, 5, 305-332.
(2014): "Women's Rights and Development," Journal of Economic Growth, 19, 37- 80.
FERNÁNDEZ, R. AND A. FOGLI (2006): "Fertility: The Role of Culture and Family Expe- rience," Journal of the European Economic Association, 4, 552-561.
FERNÁNDEZ, R., A. FOGLI, AND C. OLIVETTI (2004): "Mothers and Sons: Preference Formation and Female Labor Force Dynamics, Quarterly Journal of Economics, 119, 1249-1299.
FIELD, E. AND A. AMBRUS (2008): "Early Marriage, Age of Menarche, and Female School- ing Attainment in Bangladesh," Journal of Political Economy, 116, 881-930.

FIELD, E., S. JAYACHANDRAN, AND R. PANDE (2010): "Do Traditional Institutions Con- strain Female Entrepreneurship? A Field Experiment on Business Training in India," American Economic Review, 100, 125-129.
DEVOTO, F., E. DUFLO, P. DUPAS, W. PARIENTE, AND V. PONS (2012): "Happiness on.